न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 17/2023

अपीलार्थी

श्रीमती दरिया देवी पत्नि कृष्णलालजी, जाति– भील, निवासी–नागाणी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. श्री हरिसिंह सतावन पुत्र धनफुल जी, जाति–मीणा, निवासी– सिरोही रोड, पिण्डवाडा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मदन सिंह चौहान, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 10 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या– 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आढा ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28.7.2023 के द्वारा विवादित खसरा संख्या 119/946 रकबा 10 बीघा में से 7 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होना मानते हुए अपीलान्ट को बेदखल कर वादी को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने व जुर्माना आरोपित करने का निर्णय पारित करने में कानूनन एवं वाक्यातन गलती की है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2023 को प्रस्तुत किया एवं उस प्रार्थना पत्र के साथ एक सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं केवल इन दो दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 10.3.2023 को ही वाद अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा संख्या 01/2023 पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को उसी दिन 10.3.2023 को ही नोटिस तारीख पेशी का जारी किया एवं मात्र 10 दिन पश्चात् 20.3.2023 को पेशी नियत कर नोटिस तारीख पेशी के साथ वाद पत्र या किसी भी दस्तावेज की कोई नकल अपीलान्ट को नहीं भेजी एवं दिनाक 10.3.2023 को ही नोटिस प्रेषित कर पटवारी हल्का, नागाणी को प्रार्थ[illegible] मौके एवं रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट मय रेकर्ड सहित दिनाक 20.3.20[illegible] को [illegible]यालय में उपस्थित रहने की हिदायत दी अपीलेन्ट दरिया देवी [illegible] में उपस्थित हुई तब अधिवक्ताओं की हडताल होने से [illegible]र्थना पत्र प्रस्तुत [illegible]धिवक्ता

...[illegible]दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

नियुक्त करने हेतु समय चाहा उस दिन पटवारी हल्का भी मौके की रिपोर्ट लेकर आये थे, जो उन्होनें अपीलान्ट के मौजूदगी में ही न्यायालय में प्रस्तुत की थी एवं दिनांक 20.3.2023 को आगे पेशी 17.4.2023 की नियत की गई थी।. यह कि दिनांक 17.04.2023 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई तो उसको यह जानकारी दी की अब प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं महगाई राहत शिविर दिनांक 24 अप्रेल से शुरू हो रहे है जिससे इस कार्य में व्यस्त होने से कैम्प समाप्त होने के पश्चात् आपको तारीख पेशी की सूचना के संबंध में नोटिस आ जायेगा, जिस पर आप अपना जवाब प्रस्तुत कर देना लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने तारीख पेशी के संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं बिना सूचना एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनाक 28.7.2023 को उक्त निर्णय एकतरफा पारित कर दिया। यह कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो वाद पत्र की श्रेणी में था न ही वाद के साथ वादी का शपथ पत्र था, न ही वाद पत्र वाद के फॉर्मेट में था न ही वाद पत्र पर कोई कोर्ट फीस अदा की गई थी इसके उपरान्त भी उक्त प्रार्थना पत्र को गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र के रूप में ट्रीट कर कानूनन भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के प्रार्थना पत्र को वाद पत्र मानकर कार्यवाही की गई है, वाद पत्र में वादी की साक्ष्य आवश्यक है तथा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को साक्ष्य लेकर प्रदर्शित करवाना अनिवार्य है अगर साक्ष्य नहीं ली गई है तो वाद साक्ष्य के अभाव में स्वतः ही खारीज योग्य है इस वाद में किसी तरह की कोई साक्ष्य नहीं ली गई है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से कानून को नजरअदाज कर नियमों से परे जाकर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है जिससे उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि वाद का निर्णय करते समय निर्णय के साथ डिक्री पर्चा जारी करना कानूनन आवश्यक है एवं डिक्री पर्चा के अभाव में उक्त निर्णय कानूनन परिपोषणिय नहीं है एवं उक्त निर्णय खारीज किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्ट दरिया देवी की ग्राम ईदला, पटवार क्षेत्र नागाणी में खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 119/948 रकबा 3 बीघा 15 विस्वा व खसरा संख्या 119/949 रकबा 3. बीघा 15 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 10 विस्वा भूमि आई हुई, जिसका नियमानुसार खनन पट्टा आवंटन करने हेतु अपीलान्ट ने आवेदन पेश किया था जिस पर संयुक्त सीमांकन का आदेश खनन विभाग सिरोही द्वारा हल्का पटवारी को व खातेदार को भेजा था जिसकी रिपोर्ट हेतु संयुक्त टीम दिनाक 03.10.2019 को मौके पर उपस्थित हुई थी एवं मौके पर मुस्तकिल पॉइंट पडौस में खसरा संख्या 383 में फाउदा पुत्र बाबु का कुआ एवं खसरा संख्या 370 में खीमा पुत्र चौपा का कुआं है जिनको मुस्तकिल पॉइंट निर्धारित कर नक्शे व रेकर्ड अनुसार दोनों कुओं की दूरी को नापा जो मौके एवं रेकर्ड अनुसार सही पाए गए जिससे उन्हें मुस्तकिल पॉइट मानकर मौके पर अपीलान्ट के खातेदारी खसरा नम्वरान का सीमाझान किया गया एवं मौके पर दिनाक 03.10.2019 को रिपोर्ट तैयार की गई। सुपरइपोज जी.एन.एस.एस द्वारा दिनांक 03.10.2019 की रिपोर्ट की मौके पर जाव एवं सत्यापन पटवारी हल्का नागाणी व खनिज अभियंता कार्यालय द्वारा किया गया, उसके पश्चात पुनः फिजीकल वेरिफिकेशन खनिज अभियन्ता द्वारा किया गया एवं फिजीकल वेरिफिकेशन में मौके एवं रेकर्ड की स्थिती का वेरिफिकेशन कर सही पाए जाने पर मंशा पत्र जारी किया किया, उसके पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गई, तत्पश्चात खनिज विभाग जोधपुर से स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर अपीलान्ट व खनिज विभाग के बीच खनन पट्टा संविदा दिनाक 22.3.2021 को हुई जिसका पंजीयन दिनाक 24.3.2021 को उप[illegible] कार्यालय, रेवदर में पंजीबद्ध हुआ। उसके पश्चात् अप्रैल, 202[illegible] प्रारम्भ किये एवं प्रदूषण विभाग से एनओसी प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने माईन्स में खनन कार्य

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भ किया जो वर्तमान में खनन कार्य चालु है जहां पर अपीलान्ट की मशीनरी लगी हुई है तथा विद्युत कनेक्शन ले रखा है, मजदूरों के निवास हेतु अस्थाई आवास बना हुआ है एवं विद्युत संयंत्र हेतु एक कमरा बना हुआ है। इस प्रकार अपीलान्ट अपने मालकी स्वामित्व की सम्पति पर काबिज है, अन्य किसी भी भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है इसके उपरान्त् भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार से बचाव, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बगैर मन माने ढंग से एकतरफा निर्णय पारित करने किया है, जो कानूनन गलत है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.3.2023 को पटवारी हल्का, नागाणी को मौके के संबंध में सही स्थिती लाने के लिये निर्देश दिये थे जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.3.2023 को अधनीस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी उस रिपोर्ट में अपीलान्ट का किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख था जिसका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा का अपने निर्णय में उल्लेख नही किया है एवं प्रार्थी व हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दिनांक 01.3.2023 को गलत रुप से बनाई रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह अपीलान्ट ने अपने भूमि पर खनन पट्टा प्राप्त करने से पूर्व मौके पर पर सक्षम कर्मचारी/अधिकारी की टीम से हर दिशा व क्षेत्रफल का नियमानुसार नाप करवाया है उक्त नाप व रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है व नाप व रिपोर्ट अधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई है एवं उनके द्वारा लगाए गए नाप के निशान अनुसार ही अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है. अपीलान्ट अपने मालकी स्वामित्व की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही काबिज है, लेकिन इन सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रुप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की 7 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का बिना किसी साक्ष्य व आधार के अतिक्रमण मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कानूनन गलत है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2010(1) पेज 395 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है। विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014(1) पेज 658–667 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दायर करने के लिये यह आवश्यक शर्त है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये है। चूंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट व प्रत्यर्थी हरिसिंह दोनों ही अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में, उक्त अधिनियम की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही करने का तहसीलदार को अधिकार नही है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या–1 (हरिसिंह सतावन) के अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी हरिसिंह सतावन के कब्जे–काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ईदरला, पटवार हल्का नागाणी के खसरा संख्या 119/946 रकबा 10.00 बीघा किस्म ब2 भूमि आई है। इस कृषि भूमि को प्रत्यर्थी हरिसिंह ने कीमतन क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। यह कि प्रत्यर्थी हरिसिंह की कृषि भूमि में से रकबा 7.00 बीघा भूमि पर अपीलान्ट ने जबरन कब्जा कर अतिक्रमण किया। यह कि प्रत्यर्थी हरिसिंह द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि के सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार, रेवदर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार, रेवदर ने हल्का पटवारी, नागाणी [illegible] टीम गठित कर प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि का मुस्तकील बि[illegible] इस सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.3.2023 में प्रत्यर्थी हरिसिंह सतावन की खातेदारी कृषि भूमि में से रकबा

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

7.00 बीघा भूमि ने अतिक्रमण कर कब्जा किया है व मौके पर अपीलान्ट ने प्रत्यर्थी की खातेदारी भूमि पर अस्थाई निवास, मिट्टी के ढेर, बलोक आदि डाल दिये है। यह कि अपीलान्ट महिला होने से मारपीट करने हेतु उतारु हो जाती है व कब्जा छोडने से मना किया। तब प्रत्यर्थी हरिसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपीलान्ट के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रुप से जबरन कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार को ऐसे व्यक्ति को बेदखल करने व अनुसूचित जाति के खातेदार कृषक को कब्जा दिलवाने के अधिकार प्रदत्त है। प्रत्यर्थी हरिसिंह जो कि अनुसूचित जन जाति का सदस्य है व अनुसूचित जन जाति के सदस्य की कृषि भूमि पर अनाधिकृत रुप से अपीलार्थी दरिया देवी द्वारा जबरन कब्जा किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी हरिसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में राजस्थान काश्तकारी अधियिम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच एवं सुनवाई राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रत्यर्थी हरिसिंह सतावन पुत्र धनफुल जी, जाति— मीणा, निवासी— सिरोही रोड, पिण्डवाडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत अपीलार्थी दयिादेवी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी हरिसिंह के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम ईदरला, पटवार हल्का नागाणी के खसरा संख्या 119/946 रकबा 10.00 बीघा किस्म ब 2 आई हुई है। वादी की खातेदारी कृषि भूमि में दक्षिण दिशा में करीब 7.00 बीघा भूमि पर पडौसी खातेदार प्रतिवादी दरिया देवी ने बिना विधिपूर्ण अधिकार के बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, अतः प्रार्थी/वादी के खातेदारी खसरा संख्या 119/946 रकबा 7.00 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की डिक्री/आदेश पारित किया जावे। प्रत्यर्थी हरिसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.3.2023 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में अपीलान्ट दरिया देवी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया एवं हल्का पटवारी, नागाणी को जांच रिपोर्ट व रेकर्ड सहित उपस्थित होने हेतु दिनांक 20.3.2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है। जिस पर अपीलान्ट दरिया देवी ने दिनांक 20.3.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 17.4.2023 नियत की गई। तत्पश्चात् सुनवाई तिथि 28.7.2023 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा हल्का पटवारी, नागाणी से जांच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.3.2023 के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु खनिज विभाग में आवेदन करने पर दिनांक 03.10.2019 को खनन विभाग के खनिकार्यदेशक व हल्का पटवारी, नागाणी व अन्य की टीम द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में संयुक्त सीमांकन कर संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस समय प्रत्यर्थी हरिसिंहि के पूर्व रसाधिकारी (जिनसे प्रत्यर्थी हरिसिंह ने खसरा संख्या 119/946 रकबा 10.00 बीघा भूमि क्रय की है) द्वारा कोई आपत्ति नही की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि विधिक दृष्टान्त RRT 2014(1) पेज 658—667 में यह स्पष्ट किया है कि राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण दायर करने के लिये यह आवश्यक शर्त है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति/जनजाति का होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये है। चूंकि, इस प्रकरण में अपीलान्ट व प्रत्यर्थी हरिसिंह दोनों ही अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर ने अपने विवेक का उपयोग किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारवान होने व भलीभांति साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.2023 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 अर्न्तगत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 28.7.2023 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10 जनवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:20:50 IST
Reason: SelfAttested